सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
कार्तिक 5, मंगलवार, शाके 1942–अक्टूबर 27, 2020	
Kartika 5, Tuesday, Saka 1942–October 27, 2020	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, दूदू

प्रपत्र-09

(धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन योजना का घोषणा एवं सार)

नियम 21 के उप नियम (1)

घोषणा

जयपुर, सितम्बर 19, 2020

संख्या प.7(341)एस.एचए./पीपीपी/2019-20/डी-659 दीनंक-19.09.2020 राजस्थान सरकार को यह प्रतित होता है कि अनुसूची की सम्बद्ध सारणी में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ग्राम-मरवा तहसील-दूदू, जिला-जयपुर में रूपनगढ़-नरैना (राज्य राजमार्ग संख्या-100) सड़क परियोजना के लिए आवश्यक है।

अतः एतदद्वारा घोषणा किया जा रहाहै कि मानक माप के अनुसार ग्राम मरवा में कुल 0.5489 हेक्टेयर निजी भूमि के खण्डों का उपरोक्त परियोजना के लिए सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु अधिग्रहण किया जाना है, जिसका विस्तार विवरण निम्न सूची के अनुसार है।

जिला	तहसील	ग्राम	निजी भू-खण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सरकारी भू-खण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
जयपुर	दूदू	मरवा	6	0.5489	0	0.0000
		कुल	**6**	**0.5489**	**0**	**0.0000**

यह घोषणा भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2103) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 15 के प्रावधानों के तहत हितबद्ध व्यक्तियों/खातेदारों से उक्त भूमि के अधिग्रहण के संबंध में प्राप्त आपतियों को सुनने, जाँचने एवं उनके निस्तारण करने के उपरान्त की गई है।

इस भू-अर्जन के कारण पुनर्वासन होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है।

कोयला, लौहा-पत्थर स्लेट या अन्य खनिजों की खादानों के होने की स्थिति में उपरोक्त भूमि के किसी विशेष हिस्से जिनकी खानों और खनिज जिनको खोदा जाना आवश्यक हो सकता है के ऐसे भागों को छोड़ कर/निकालकर परियोजना के निर्माण चरण के दौरान भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी भूमि का ही अधिग्रहण किया जा सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण/अवलोकन भूमि आवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारीदूदू, जिला जयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस पर किया जा सकता है।

प्रस्तावित भूमि अर्जन से किसी भी प्रभावित खातेदार/परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

अथवा

उक्त परियोजना के पुनर्वासन योजना प्रस्ताव शून्य होने से प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों का पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित नहीं है, परियोजना प्रतिवेदन का अवलोकन भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी दूदू, जिला जयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्य का नामः- राज्य राजमार्ग रूपनगढ़-नरैना(एस0एच0-100) का विकास/निर्माण कार्य स्थल विवरण पत्र का प्रारूप-09,

ग्राम - मरवा

क्र. सं.	खसरा सं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	हितबद्ध पक्षकार का नाम एवं पता	सीमा (खसरा सं0)				पेड़		संरचना	
						उ0	द0	पू0	प0	किस्म	सं0	किस्म	प्लीन्थ क्षेत्रफल
1	416	निजी	गै0मु0 सड़क	0.0700	माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी	500	सड़क	498, 497	416	-	-	-	-
2	497	निजी	चाही 3	0.1557	माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी	501	सड़क	502, 498	497	-	-	-	-
3	498	निजी	चाही 3	0.0736	माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी	501	सड़क	502	497	-	-	-	-
4	499	निजी	गै0मु0 चाह	0.0008	माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी	501	498	502	497	-	-	-	-
5	501	निजी	चाही 3	0.1022	माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी	502	499	499	1041	-	-	-	-
6	502	निजी	चाही 3	0.1466	माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी	1041	507	506	501	-	-	-	-
योग				**0.5489**									

भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड-दूदू, जिला-जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।